

21.5.24

बकुलाय पक्षकारान उपास्थित/ 21/5/24
के लिए मौका चाहते हैं अतः अवसर दिए
कर दिनांक 15.7.24 को पेश हो
@

मूल वाद में
राजीनामा हो
जाने से इस
प्रकरण में आगे
कार्रवाई नहीं
चाहते हैं।

अमलेश्वर शर्मा
1/5

3.7.24
पत्रावली पेश हुई बकुलाय पक्षकार उपास्थित

पत्रावली मूल वाद के साथ सिगाह से तलब होकर
पेश हुई हस्तगत प्रकरण का मूल वाद राजीनामा
डिक्ली हो चुका है तथा प्राधीन द्वारा प्रकरण में
कोई कार्यवाही नहीं चाहते का अंजन किया गया।

अतः प्रकरण का मूल वाद ^{विद्ये विद्यमान} राजीनामा
से हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही होय नहीं
रहती है। जिले इस प्रकरण को इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। निर्णय लेने उजलास युगाय
गया। प्रकरण फैसलशुमा होकर नम्बर से कम हो।

@
(रिया सबी)
DAS